

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या-1368 / 2013 / जयपुर

मैसर्स शोटाइम एन्टरटेनमेंट प्रॉलि०,  
4, जिलेदार हाऊस, काछाबंदा,  
आमेर रोड, जयपुर।

.....प्रार्थी।

### बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक),  
जयपुर।
2. उप पंजीयक, द्वितीय, जयपुर।

.....अप्रार्थी।

### खण्डपीठ

श्री बी.के. मीणा, अध्यक्ष  
श्री मदन लाल, सदस्य

### उपस्थित ::

श्री अनन्त कासलीवाल  
अभिभाषक।

.....प्रार्थी की ओर से।

श्री रामकरण सिंह  
उप-राजकीय अभिभाषक

.....अप्रार्थी की ओर से।

**निर्णय दिनांक : 09.10.2015**

### निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर (जिसे आगे 'कलक्टर मुद्रांक' कहा गया है) के आदेश दिनांक 27.10.2004 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें कलक्टर (मुद्रांक) ने उप पंजीयक द्वितीय जयपुर सिटी द्वारा कमी मालियत एवं तदनुरूप कम मुद्रांक का प्रकरण बनाते हुए रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया था एवं जिसको कलक्टर (मुद्रांक) ने स्वीकार करते हुए निगरानीकर्ता के विरुद्ध कमी मुद्रांक रूपये 1,03,85,820/- एवं शास्ति रूपये 4180/- कुल रूपये 1,03,90,000/- की मांग सृजित की गई। उक्त आदेश के विरुद्ध निगरानीकर्ता द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई उक्त निगरानी, निगरानीकर्ता ने 50 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा कराने की आवश्यकता नहीं होने के आधार पर श्रवणार्थ ग्रहण करने हेतु प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 12.01.2005 द्वारा निगरानीकर्ता की उक्त दलील से असहमत होते हुए कि धारा 65(2) के अन्तर्गत उक्त निगरानी होने के कारण उसको मांग राशि के 50 प्रतिशत की राशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, खारिज कर दिया गया एवं 50 प्रतिशत जमा नहीं कराये जाने से निगरानी ग्रहण योग्य नहीं मानकर प्रकरण निस्तारित कर दिया गया।

२६२

1

लगातार.....2

माननीय राजस्व मण्डल के उक्त आदेश दिनांक 12.01.2005 के विरुद्ध निगरानीकर्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट पिटीशन संख्या 605 / 2005 प्रस्तुत की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने दिनांक 27.05.2013 को निर्णय दिया। जिसके अनुसार :

*"Mr. S. Kasliwal, learned counsel for the petitioner, on instructions, submits that the issue involved in the instant proceedings is covered by the determination made by this court vide its order dated 31.05.2012 passed in M/s Sanghi Trading & Investments Private Limited Vs. The State of Rajasthan & Others [D.B. Civil Writ Petition No. 8516/2007]"*

*In view of the above and on a perusal of the aforementioned order, the prayer for withdrawal is allowed.*

*The liberty to avail the alternative remedy is also granted."*

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.05.2013 की अनुपालना में निगरानीकर्ता द्वारा उक्त निगरानी राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उनकी विवादित सम्पत्ति की कीमत 5,61,00,000/- रुपये को उनके द्वारा सेल डीड में घोषित की गई थी, को स्वीकार करते हुए देय होने वाली ड्यूटी में राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुरूप 50 प्रतिशत की छूट दी जाना वैद्यानिक है तदनुरूप कलक्टर (मुद्रांक) का आदेश दिनांक 27.10.2004 को निरस्त कर उनकी निगरानी को स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) ने निगरानीकर्ता द्वारा चुकाये गये सम्पत्ति के प्रतिफल को अमान्य करते हुए उप पंजीयक के रेफरेन्स को गलत तरीके से स्वीकार किया है, जो की अनुचित भेदभावपूर्ण है, जिसको अस्वीकार किया जाना चाहिए एवं राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 2000–108 एवं 109 दिनांक 13.11.2001 तथा अधिसूचना संख्या 2001 दिनांक 30.09.2002 के अनुरूप उसकी सम्पत्ति पर देय स्टाम्प ड्यूटी में 50 प्रतिशत की छूट अनुचित रूप से नहीं दी गई है, अतः निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह ने प्रारम्भिक आपत्ति उठाकर उक्त निगरानी के पोषणीय होने को ही अस्वीकार करने का तर्क प्रस्तुत किया। श्री सिंह का कथन है कि कलक्टर (मुद्रांक) के आदेश दिनांक 27.10.2004 के विरुद्ध तत्समय प्रस्तुत निगरानी माननीय राजस्व मण्डल, के

समक्ष प्रस्तुत की गई थी परन्तु माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा दिनांक 12.01.2005 को निगरानीकर्ता की निगरानी 50 प्रतिशत अनिवार्य राशि अन्तर्गत धारा 65(1) के अनुरूप जमा नहीं कराने पर ग्रहण योग्य नहीं होना मानकर अस्वीकार कर दी गई थी। चूंकि निगरानीकर्ता द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत याचिका जिसमें धारा 65(1) की वैधता को चुनौती दी गई थी, को वापिस ले लिया गया था। फलतः निगरानीकर्ता पूर्व स्थिति में पदापर्ण कर चुका है। तदनुरूप उक्त निगरानी में कोई आदेश की आवश्यकता नहीं है। अर्थात् माननीय राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 12.01.2005 अब भी अखण्ड व अप्रभावित है। अतः प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। चूंकि विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा निगरानी की प्रस्तुतीकरण के संबंध में ऐतराज उठाया गया है। अतः ज्यूरिसप्रेडेंस के मान्य सिद्धान्तों के अनुरूप सर्वप्रथम प्रारम्भिक आपत्ति का निस्तारण आवश्यक है। तदनुरूप रिकार्ड के अवलोकन एवं निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की बहस के दौरान मांग राशि के 50 प्रतिशत राशि जमा कराने का प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु चाहा गया। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि क्योंकि उन्होंने वर्तमान निगरानी दिनांक 08.07.2013 को प्रस्तुत की है, अतः वर्तमान में प्रस्तुत प्रावधानों के अनुसार धारा 65(1) के परन्तुक के अनुसार वांछित अनिवार्य जमा राशि 25 प्रतिशत देय होती है जो उनके द्वारा जमा करवायी जा चुकी है।

रिकार्ड के अवलोकन व बहस के अनुसार विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2004 के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी को तत्समय राजस्व मण्डल की एकलपीठ ने अपने आदेश दिनांक 12.01.2005 द्वारा इस आधार पर ग्राह्य नहीं माना था कि निगरानीकर्ता द्वारा अनिवार्य जमा 50 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवायी थी। जिसके विरुद्ध निगरानीकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की परन्तु उक्त याचिका मैसर्स सांघी ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्मेंट्स प्राइलि० बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य (डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 8516/2007) में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2012 के अनुसरण में वापिस ले ली गई। माननीय उच्च न्यायालय ने यद्यपि निगरानीकर्ता को वैकल्पिक उपचार हेतु स्वतंत्रता प्रदान की गई। चूंकि उक्त निर्णय में निगरानीकर्ता को मैसर्स सांघी ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्मेंट्स प्राइलि० बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य के मामले में दिनांक 31.05.2012 को पारित निर्णय के अनुरूप वैकल्पिक उपचार प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसमें माननीय न्यायालय ने अंकित किया है कि :

३१३

४


*"With respect to the vires, it is conceded at bar that the matter is covered by the decision rendered by this court on 12.07.2011 at principal seat, Jodhpur in Hindustan petroleum corporation Limited vs. State & Ors. (D.B. Civil writ petition No. 5098/2004) alongwith 2 other connected writ petitions. However, counsel appearing on behalf of the petitioner has prayed for liberty to file appeal before the appellate authority."*

Liberty prayed for is granted, In case appeal is filed within a period of six weeks, it will be treated within limitation, as jointly agreed by the parties.

माननीय न्यायालय के उक्त दोनों निर्णयों को एक साथ पढ़ने से विदित होता है कि निगरानीकर्ता को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा केवल मात्र निगरानी 6 सप्ताह में प्रस्तुत कर देने पर समय सीमा के अन्दर मानी जाने का निर्णय दिया। इसके अलावा और कोई निर्णय निगरानीकर्ता के पक्ष में पारित नहीं किया। अतः विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता के इस तर्क का औचित्य स्पष्ट है कि विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) के निर्णय दिनांक 27.10.2004 के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा दिनांक 12.01.2005 अधिनियम की धारा 65(1) के प्रावधानों की पालना नहीं करने के कारण ग्रहण योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर दिये जाने का निर्णय वर्तमान में भी यथावत एवं अखण्डित है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता के इस तर्क से हम सहमत नहीं है कि उनके द्वारा रिविजन दिनांक 08.07.2013 को प्रस्तुत की गई है, बल्कि उक्त निगरानी पूर्व में निगरानीकर्ता के संबंध में पारित निर्णयों की निरन्तरता में ही प्रस्तुत की गई है। अतः इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 12.01.2005 अप्रासांगिक नहीं हो जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार यह पीठ मांग राशि की 50 प्रतिशत जमा नहीं कराने के निर्णय दिनांक 12.01.2005 में हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। फलतः प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

  
9.10.2015  
(मदन लाल)

सदस्य

-३६३  
(बी.के.मीणा)  
अध्यक्ष